न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिटी जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 154 / 2015 तारीख रजू :–24.11.2015

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

अजमेरी व अन्य बनाम नन्हीबाई व अन्य

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा में

प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

निर्णय

दिनांक :– 26-02-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी / प्रतिवादी सं01 व 2 ने दिनांक 26.08.2019 को प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि उपरोक्त उनवानी मुकदमा में आज की तारीख पेशी नियत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 ता 6 में वर्णित आराजीयात प्रतिवादीगण की खातेदारी व हिस्सेदारी दर्ज की है, उक्त आराजीयात पुश्तैनी होना भी दर्ज किया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज इबारत की कि प्रतिवादी सं01 व 2 की माताजी मु0 माफी द्वारा दिनांक 13.07.1985 को आराजीयात विवादग्रस्त का विक्रय मुवलिग 51000 / –रूपया में बहक मन्जू जरिये इकरारनामा 5 / –रूपये के स्टाम्प पर किया जाना तहरीर किया है। जो अनस्टाम्पड व अनरजिस्टर्ड होना भी अस्वीकार किया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि तथाकथित इकरारनामा कतई फर्जी बनावटी व अवैध है तथा [illegible] आधार पर किसी वाद की सुनवाई या अधिकार प्राप्ति की दादरसी [illegible] के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाईड बाई लॉ अन्तर्गत ऑर्डर [illegible] चलने योग्य [illegible] रिजेक्ट फरमाये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि दावा मय प्रार्थना पत्र हाजा रिजेक्ट फरमावें।

वादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी का जवाब कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी पर वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/ प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 व 151 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील वादी ने दौराने बहस अवगत कराया है कि प्रतिवादी सं01 व 2 की माता जी मु0 माफी द्वारा दिनांक 13.07.1985 को आराजीयात विवादग्रस्त का विक्रय पत्र 51000/– रूप्या मं बहक मन्जू जरिये इकरारनामा 5/–रूपया के स्टाम्प पर किया गया है जो सही है। उक्त स्टाम्प इकरारनामा की कानून में मान्यता है तथा इस इकरारनामा के आधार पर दावा हाजा की सुनवाई का अधिकार माननीय अदालत को प्राप्त हैं। इकरारनामा सही है तथा फर्जी या बनावटी नहीं है। प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 299 रकबा 0.30 है0, 300 रकबा 0.13 है0, 301 रकबा 0.12 है0, 701 रकबा 0.40 है0, 702 रकबा 0.11 है0, 703 रकबा 0.11 है0, 791/1022 रकबा 0.02 है0, 977 रकबा 0.01 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.20 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में माफी बेबा असनाद मुसलमान हिस्सा 1/8 की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 0.01 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में नन्हीबानो हुसैनबानो पुत्रियॉ असनाद, अजमेरी फजलू रसीदा सलीम बख्त्यार पि0 मंजू अलीमुद्दीन जहीरखान जमीलखान शाजिदखान आविदखान पि0 कदीरा, मजीदन बेबा कदीरा शायरा सजीदा सजिया रजिया पुत्रियॉ कदीरा चलती बेबा मंजू बशीरन रस्सो पुत्रियां मंजू हि02/3 हनीशा पत्नि कमाल हि01/3 जाति मुसलमान साकेन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:46 IST
Reason: SelfAttested

नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 288 रकबा 0.17 है0, 745 रकबा 0.21 है0, 780 रकबा 0.40 है0, 976 रकबा 0.29 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.07 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में नन्हीबानो हुसैनबानो पुत्रियॉ असनाद, अजमेरी फजलू रसीदा सलीम बख्त्यार पि0 मंजू अलीमुद्दीन जहीरखान जमीलखान

Scanned by CamScanner

शाजिदखान आविदखान पि0 कदीरा, मजीदन बेबा कदीरा शायरा सजीदा सजिया रजिया पुत्रियॉ कदीरा चलती बेबा मंजू बशीरन रस्सो पुत्रियॉ मंजू हि02/3 हनीशा पत्नि कमाल हि01/3 जाति मुसलमान सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 744 रकबा 0.21 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में नन्हीबानो हुसैनबानो पुत्रियॉ असनाद, अजमेरी फजलू रसीदा सलीम बख्त्यार पि0 मंजू अलीमुद्दीन जहीरखान जमीलखान शाजिदखान आविदखान पि0 कदीरा, मजीदन बेबा कदीरा शायरा सजीदा सजिया रजिया पुत्रियॉ कदीरा चलती बेबा मंजू बशीरन रस्सो पुत्रियॉ मंजू हि02/3 हनीशा पत्नि कमाल हि04/21, हनीफ पुत्र एनू जैतून पुत्री एनू हि03/21 जाति मुसलमान सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 862 रकबा 0.04 है0, 863 रकबा 0.97 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में नन्हीबानो हुसैनबानो पुत्रियॉ असनाद जाति मुसलमान सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 263 रकबा 0.29 है0, 302 रकबा 0.21 है0, 714 रकबा 0.23 है0, 715 रकबा 0.20 है0, 728 रकबा 0.27 है0, 833 रकबा 0.14 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.34 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में नन्हीबानो हुसैनबानो पुत्रियॉ असनाद, अजमेरी फजलू रसीदा सलीम बख्त्यार पि0 मंजू अलीमुद्दीन जहीरखान जमीलखान शाजिदखान आविदखान पि0 कदीरा, मजीदन बेबा कदीरा शायरा सजीदा सजिया रजिया पुत्रियॉ कदीरा चलती बेबा मंजू बशीरन रस्सो पुत्रियॉ मंजू जाति मुसलमान सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति स्टाम्प कीमती 5/–रूपया जिस पर माफी बेबा असनाद जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन के द्वारा मंजू पुत्र अस्तू जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन के हक में विक्रय पत्र उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 862 रकबा 0.04 है0, 863 रकबा 0.97 है0,सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 263 रकबा 0.29 है0, 302 रकबा 0.21 है0, 714 रकबा 0.23 है0, 715 रकबा 0.20 है0, 728 रकबा 0.27 है0, 833 रकबा 0.14 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.34 है0 ग्राम कुतकपुर में हि01/3 एवं खसरा नम्बर 261 रकबा 0.0[illegible] नम्बर 744 रकबा 0.21 है0, 288 रकबा 0.17 है0, 745 रकबा [illegible] 0.40 है0, 976 रकबा 0.29 है0 ग्राम कुतकपुर में हि01/3 , खसरा [illegible] 300 रकबा 0.13 है0, 301 रकबा 0.12 है0, 701 रकबा 0.40 है0, 702 रकबा [illegible] है0, 703 रकबा 0.11 है0, 791/1022 रकबा 0.02 है0, 977 रकबा 0.01 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.20 है0 ग्राम कुतकपुर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हिस्सा 1/4 को 51000/–रूपया में बेचान किया जाना अंकित किया है। उक्त इकरारनामा विक्रय पत्र दिनांक 13.07.1985 को लिखा गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीगण ने दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादी सं01 व 2 माफी के विरूद्ध अनरजिस्टर्ड विकय पत्र स्टाम्प कीमती 5/–रूपया पर लिखित दस्तावेज के आधार पर पेश किया है। जबकि प्रतिवादी सं01 व 2 मृतक माफी बेवा अनसाद की पुत्रियॉं हैं। अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वादीगण को कोई अधिकार किसी प्रकार के इस न्यायालय से प्राप्त नहीं हो सकते हैं अर्थात अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वादीगण का दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं दावा के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र कानूनन इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है तथा प्रतिवादी सं01 व 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी सपठित धारा 151 के तहत वादी का दावा रिजेक्ट किया जाकर खारिज किये जाने योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/ प्रतिवादी सं01 व 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मुकदमा नं0 154/2015 उनवानी अजमेरी व अन्य बनाम नन्हीबाई व अन्य दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा आराजी खसरा नम्बर 862 रकबा 0.04 है0, 863 रकबा 0.97 है0, 263 रकबा 0.29 है0, 302 रकबा 0.21 है0, 714 रकबा 0.23 है0, 715 रकबा 0.20 है0, 728 रकबा 0.27 है0, 833 रकबा 0.14 है0, 261 रकबा 0.01 है0, 744 रकबा 0.21 है0, 288 रकबा 0.17 है0, 745 रकबा 0.21 है0, 780 रकबा 0.40 है0, 976 रकबा 0.29 है0, 299 रकबा 0.30 है0, 300 रकबा 0.13 है0, 301 रकबा 0.12 है0, 701 रकबा 0.40 है0, 702 रकबा 0.11 है0, 703 रकबा 0.11 है0, 791/1022 रकबा 0.02 है0, वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत रिजेक्ट किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:46 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Scanned by CamScanner

... पेश हुई वकुलाय
उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार
वास्ते .... आदेश ....
....
दिनांक 08-02-2021 को पेश हो।

08-02-2021 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। आज पुनः 07 R11 सपठित धारा 151 CPC पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 26-02-2021 को पेश हो।

26-02-21 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप०। प्रा० पत्र 07 R11 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सरेईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

26.02.21
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.10 12:02:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner